लाडली

योजना का उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाना है क्योंकि राज्य में महिला लिंग अनुपात घटता जा रहा है।

योजना का विवरणः

इस योजना के अन्तर्गत 5000 रूपये की राशि, दूसरी बेटी के जन्म पर भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से निवेश की जाती है तथा इसके बाद दूसरी बेटी को प्रत्येक वर्ष 5000 रूपये की राशि पांच वर्षो तक या जब तक योजना लागू रहेगी, तब तक दी जायेगी। परिपक्व राशि दूसरी बेटी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दी जायेगी जो कि इस समय की ब्याज दरों पर उस समय लगभग 96000 रूपये हो जायेगी।

योजना का क्षेत्रः

लाडली योजना हरियाणा राज्य के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 20 अगस्त, 2005 से चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरी बेटी का जन्म 20 अगस्त, 2005 या उसके बाद होना चाहिये।

योजना के लाभपात्रः

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित परिवारों को लाभ दिया जायेगाः

- जाति, धर्म, आय तथा पुत्रों की संख्या के भेदभाव के बिना सभी माता-पिता, जो हरियाणा राज्य के निवासी हों या हरियाणा के अधिवासी हों, 20 अगस्त, 2005 को या उसके बाद पैदा होने वाली दूसरी बेटी के जन्म पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से निवेश के हकदार होंगे।
- बेटी के माता-पिता यदि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हों तो भी वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि 20 अगस्त, 2005 या उसके बाद दो जुड़वां या अधिक बेटियां पैदा होती हैं तो भी वह परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है।
- विशेष मामलों में यदि किसी परिवार में 20 अगस्त, 2005 या इसके बाद दो जुड़वां या इससे अधिक बेटियां पैदा होती हैं तथा इससे पहले भी एक जीवित बड़ी बेटी हो तो उस परिवार को प्रति बेटी 2500 रूपये का लाभ 5 वर्ष तक दिया जाएगा।

लाभ प्राप्त करने का तरीकाः

आवेदन-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर सम्बंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाईजर तथा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन पत्र विभाग की वैबसाईट www.wcdhry.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दूसरी बेटी के जन्म प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति लगाकर समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई.सी.डी.एस) के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के मामले बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा गैर-आई.सी.डी.एस.क्षेत्रों में सिविल सर्जन के पास जमा करवाने होंगे। यह राशि जिला की कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।

समेकित बाल विकास सेवाएं क्षेत्रों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों के लिए सिविल सर्जन सम्बन्धित

जिला कार्यक्रम अधिकारी को मामले अपनी सिफारिश सहित भेजेंगे। 5000 रूपये की राशि को स्वीकृत करने उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में निवेश किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी को दिया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी धारक को निवेश के बारे में पूर्ण विवरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करती है।

बेटी को प्राप्त होने वाला लाभः

दूसरी बेटी को प्रत्येक जन्म-दिवस पर 5 वर्ष तक 5000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश की गई राशि उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000 रूपये दी जायेगी। परिपक्व राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन करते समय दूसरी बेटीः-

क) 18 वर्ष की होनी चाहिये।

ख) अविवाहिता होनी चाहिये।

पात्र बेटी अपने माता/पिता/संरक्षक के साथ निर्धारित आवेदन-पत्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन करेगी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद केस भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी हेतू प्रस्तुत करेगी।

लाडली स्कीम के अन्तर्गत लाभपात्र

क्रम संख्या	वर्ष	लाभपात्र	कुल खर्च (लाखों में)
1	2005-06	5647	282.12
2	2006-07	23726	1180.81
3	2007-08	49558	2501.18
4	2008-09	57784	2961.24
5	2009-10	102097	5200.10
6	2010-11	91629	4578.76
7	2011-12	108291	5352.21
8	2012-13	137883	6981.84
9	2013-14	97947	5022.27
10	2014-15	78676	3953.09
	कुल	**753238**	**38013.62**

हरियाणा का बदलता स्वरूप

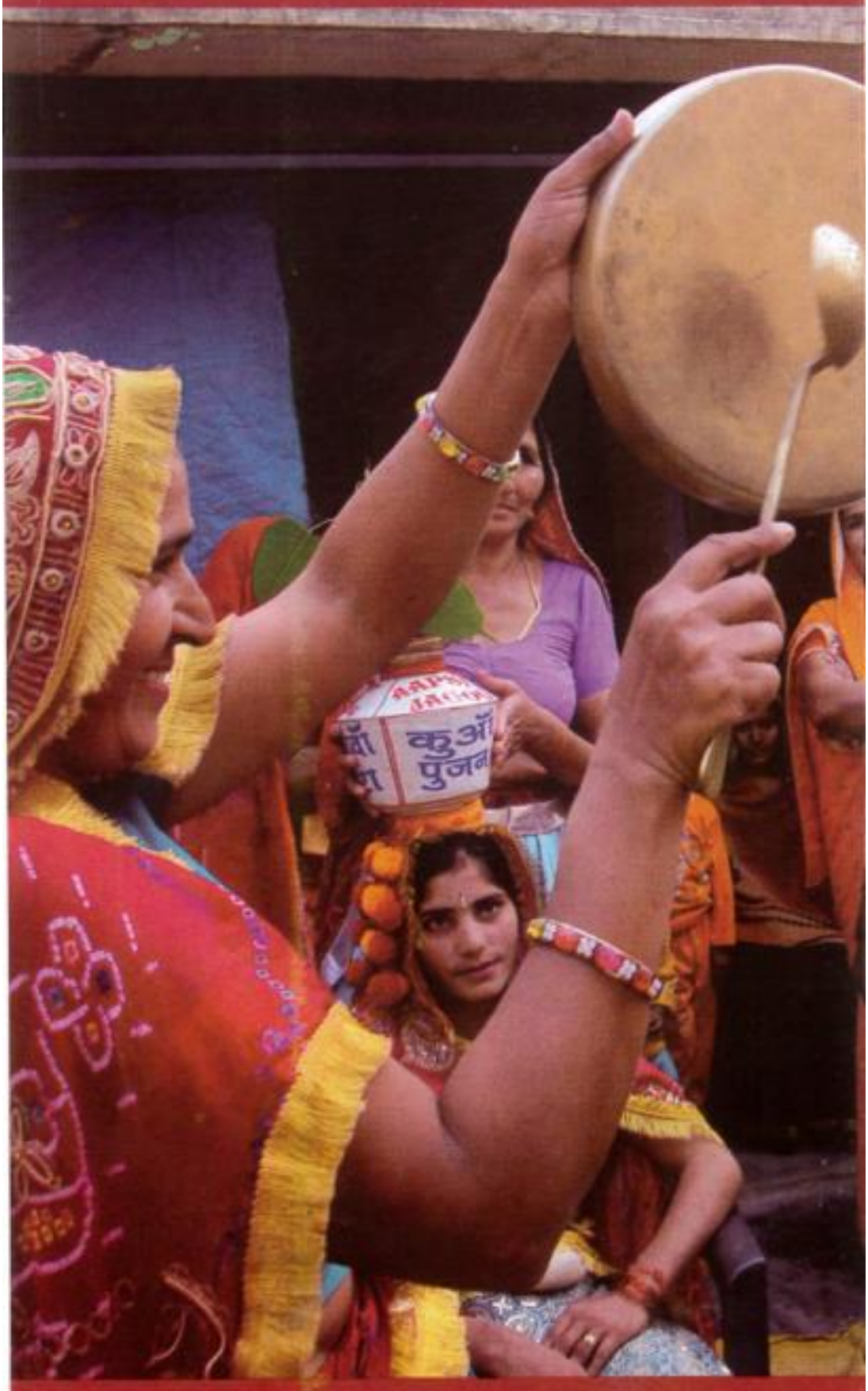

थाली बजानाः पोते के जन्म पर दादी थाली बजाकर पोता होने की खुशी प्रकट करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों से, अब बेटी के जन्म पर भी थाली बजाकर खुशी प्रकट की जाती है।

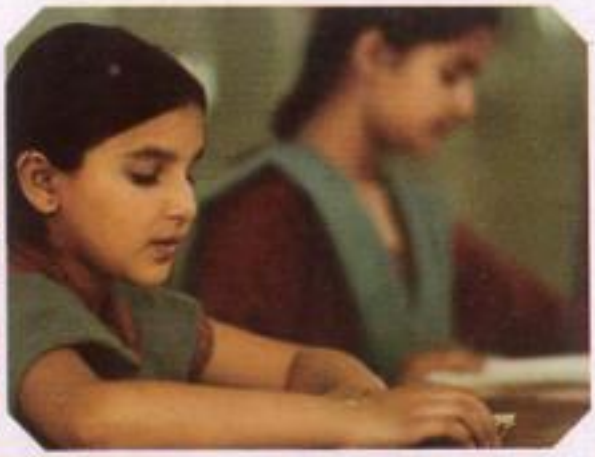

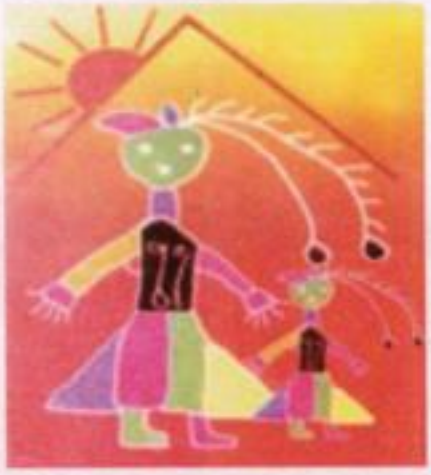

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज नं.: 15-20, सैक्टर 4, पंचकूला
दूरभाष: 0172-2560349
Website: www.wcdhry.gov.in
Email: wcd@hry.nic.in